संख्या–3ए–1–मुक०–18 / 2024–... / वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांकः–..................

विषयः– CWJC No-960/2024 (अजीत कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक–24 / 07 / 2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के खंडपीठ द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को राज्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वेतनवृद्धि अनुमान्य किये जाने के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या–630, दिनांक–21 / 01 / 2010 के द्वारा राज्य कर्मियों के वेतनवृद्वि की तिथि 01 जुलाई निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। पुनः वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3590, दिनांक–24 / 05 / 2017 के द्वारा राज्य कर्मियों के वार्षिक वेतनवृद्वि की तिथि 01 जुलाई / 01 जनवरी निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. रिट पिटिशन (सिविल) संख्या–643 / 2015, All India Judges Association Vs Union of India & Others में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–27 / 07 / 2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या–9154, दिनांक–28 / 09 / 2022 की कंडिका–4(छ) के द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि राज्य सरकार के संकल्प संख्या–3590, दिनांक–24 / 05 / 2017 के आलोक में निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. तत्पश्चात रिट पिटिशन (सिविल) संख्या–643 / 2015, All India Judges Association Vs Union of India & Others में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–19 / 05 / 2023 को पारित न्यायादेश में वेतनवृद्धि की तिथि के संबंध में निम्न आदेश दिया गया :–

"As regards the date of accrual of increment, there shall be no change in the existing system which is being followed in various states/UTs i.e. the increment shall be once in a year as per the date of appointment or promotion or financial upgradation."

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–19 / 05 / 2023 को पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या–6649, दिनांक–28 / 07 / 2023 की कंडिका– 3(IV) द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या–9154, दिनांक–28 / 09 / 2022 के कंडिका–4(छ) को संशोधित करते हुए बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पूर्व की व्यवस्था के अनुरूप अर्थात् नियुक्ति, प्रोन्नति एवं वित्तीय उन्नयन की तिथि के अनुसार वेतनवृद्धि अनुमान्य किया गया।

5. CWJC No-960/2024 अजीत कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के खंडपीठ द्वारा दिनांक–24/07/2024 को न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए राज्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वेतनवृद्धि अनुमान्य किये जाने का आदेश पारित किया गया।

6. **अतः सम्यक् विचारोपरान्त** CWJC No. 960/2024 (अजीत कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक–24/07/2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के खंडपीठ द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या–6649, दिनांक–28/07/2023 की कंडिका–3(iv) में वर्णित प्रावधान **"बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि उनके नियुक्ति, प्रोन्नति एवं वित्तीय उन्नयन की तारीख के अनुसार वर्ष में एक बार निर्धारित होगा। पूर्व में निर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या–9154, दिनांक–28/09/2022 की कंडिका–4 (छ) को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।"** को विलोपित करते हुए बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को दिनांक–01/01/2016 से राज्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वेतनवृद्धि (01 जनवरी/01 जुलाई) अनुमान्य किया जाता है।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–3ए–1–मुक०–18/2024 –8040/वि० पटना, दिनांकः–17-07-2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–3ए–1–मुक०–18/2024 –8040/वि० पटना, दिनांकः–17-07-2025

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः—3ए—1—मुक०—18 / 2024 —8040/वि० पटना, दिनांकः—17-07-2025

प्रतिलिपिः—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः—3ए—1—मुक०—18 / 2024 —8040/वि० पटना, दिनांकः—17-07-2025

प्रतिलिपिः—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग / अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग / सिस्टम एनालिस्ट (बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः—3ए—1—मुक०—18 / 2024 —8040/वि० पटना, दिनांकः—17-07-2025

प्रतिलिपिः—प्रभारी ई—गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः—3ए—1—मुक०—18 / 2024 —8040 /वि० पटना, दिनांकः—17-07-2025

प्रतिलिपि— अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक **दिनांक—15.07.2025** के **मद संख्या**—18 में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।